उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– 1151 /VIII/18–147(श्रम)/2001

देहरादून, दिनांकः 25 अगस्त, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1955) की धारा 17 की उपधारा (1) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस संदर्भ में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 3768–श्रम.सेवा/365–श्रम/2003, दिनांक 30.12.2003 को विखण्डित करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ– 2 में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन दिए गए आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु अनुसूची के स्तम्भ– 3 में उल्लिखित क्षेत्रों के भीतर इस रूप में शक्ति का प्रयोग करने हेतु "प्राधिकारी" नियुक्त करते है।

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड	समस्त उत्तराखण्ड राज्य
2	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात समस्त अपर /संयुक्त/उप श्रमायुक्त	समस्त उत्तराखण्ड राज्य
3	उप श्रमायुक्त, देहरादून	जिला देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी
4	उप श्रमायुक्त, हरिद्वार	जिला हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल
5	उप श्रमायुक्त, हल्द्वानी	जिला नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर
6	उप श्रमायुक्त, ऊधमसिंह नगर	जिला ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़
7	उप श्रमायुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रमायुक्त	जिला नैनीताल
8	उप श्रमायुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रमायुक्त	जिला ऊधमसिंह नगर
9	उप श्रमायुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात सहायक श्रमायुक्त	जिला देहरादून एवं उत्तरकाशी
10	उप श्रमायुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रमायुक्त	जिला हरिद्वार
11	सहायक श्रमायुक्त, अल्मोड़ा	जिला अल्मोड़ा एवं बागेश्वर
12	सहायक श्रमायुक्त, पिथौरागढ़	जिला पिथौरागढ़ एवं चम्पावत
13	सहायक श्रमायुक्त, ऋषिकेश	जिला टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश
14	सहायक श्रमायुक्त, कोटद्वार	जिला पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

Notification

संख्या:-- 1151 /VIII/18-147(श्रम)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
5. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
9. समस्त सहायक श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०एस०वल्दिया)

अपर सचिव।

Notification